पत्र संख्या– 93 /
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार,, पटना।
(राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कोषांग)

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
(पटना, नालन्दा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णियां छोड़ कर)।

पटना, दिनांक:– 17.3.09

विषय:– बिहार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस विभाग के पत्रांक 42 दिनांक 11.02.2009 का निदेश किया जाय। अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2009–10 से आपके जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में निम्न बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है :–

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की मुख्य–मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं :–

i. इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार (परिवार में अधिकतम 5 सदस्य तक) आच्छादित होंगे ।

ii. बीमा की कुल राशि 30,000/– रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष होगी ।

iii. इस बीमित राशि के अन्तर्गत बीमित परिवार के सदस्य एक वर्ष में अस्पताल में भर्त्ती होने की दशा में मुफ्त चिकित्सा सेवा प्राप्त कर सकेंगे । प्रत्येक वर्ष बीमा का नवीकरण किया जायगा तथा बीमित राशि 30,000/– प्रति परिवार प्रति वर्ष ही रहेगी ।

iv. पूर्व से विद्यमान सभी बीमारियाँ इस बीमा के अन्तगंत शामिल रहेंगी ।

v. अस्पताल में भर्त्ती होने की दशा में घर से अस्पताल जाने–आने के लिए प्रत्येक बार 100/– रु0 मार्ग व्यय देय होगा, जिसकी अधिकतम सीमा वर्ष में 1000/–रु0 होगी ।

vi. बीमित परिवार को एक स्मार्ट कार्ड दिया जायगा । बिमित परिवार के सदस्य चयनित अस्पतालों में इस स्मार्ट कार्ड को दिखा कर बिना पैसा खर्च किये हुए इलाज करा सकेंगे । परन्तु इलाज की राशि वर्ष भर में 30,000/– रु0 के अन्तर्गत होगी ।

vii. योजनांतर्गत प्रीमियम की राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। परन्तु निबंधन/पुनर्निबंधन शुल्क के रुप में 30 रु0 प्रति परिवार देने होंगे ।

3. इस योजना से संबंधित सामान्य सूचनाऍं बेवसाईट www.rsby.com पर देखी जा सकती हैं।

4. प्रत्येक जिले में इस योजना के नोडल पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे । वे जिले में अपने अधीनस्थ पदस्थापित किसी वरीय पदाधिकारी को इस योजना के लिए District Key Manager (DKM) नामित करेंगे। अतएव सभी जिला पदाधिकारी, यदि पूर्व में नामित नहीं कर सके हों तो, इस योजना के लिए District Key Manager (DKM) मनोनित कर उनका नाम , पत्राचार का पता, दूरभाष/ मोबाईल संख्या तथा ईमेल आईडी संयोजक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कोषांग, श्रम संसाधन विभाग, पटना को यथा शीघ्र उपलब्ध करा दें। सूचनाऍं ईमेल seclab-bih@nic.in पर भी भेजी जा सकती हैं।

5. सभी जिला पदाधिकारी अपने जिलों के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सीडी (परिवार के मुखिया तथा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम सहित) Access format में तैयार कराएंगे । (फौरमेट संलग्न)। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग–अलग सीडी तैयार की जायगी । इस प्रकार तैयार की गयी सीडी विभाग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कोषांग को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

6. उपरोक्त सीडी तैयार करने हेतु जो राशि व्यय होगी वह राशि जिलों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायगी । परन्तु आवश्यक होगा कि सीडी तैयार करने हेतु खुली निविदा के माध्यम से किसी एजेन्सी की सेवाऍं ली जाऍं, ताकि दर निर्धारण में पारदर्शिता बनी रहे। सीडी तैयार करने तथा योजना के प्रचार–प्रसार करने हेतु प्रत्येक जिले को 1,10,000/–रु0 की राशि अलग से उपलब्ध करायी जा रही है।

7. इस योजना के अन्तर्गत एक dedicated computer क्रय करने हेतु प्रत्येक जिले को 40,000/–रु० की राशि अलग से उपलब्ध करायी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को अपने जिलों में लागू करने हेतु आवश्यक तैयारियाँ अभी से प्रारंभ कर दी जायें ताकि निर्वाचन कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद इस योजना को आपके जिले में लाँच किया जा सके ।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाए।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 209 / स्वा० सु० छपरा दिनांक 21-4-09
प्रतिलिपि — उप श्रमायुक्त - सह - जिला ... सारण, छपरा को इस कार्यालय के ज्ञापांक 23/स्वा० सु० दिनांक 17-02-09 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक,
जिला स्वा० सु० को०
छपरा
21.4.09